-:निर्णय:-

दिनांक :- 01.10.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जरिये विज्ञ अधिवक्ता श्री विनोद पारीक अन्तर्गत धारा 212 जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि यह कि परोक्त शीर्षक का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी आशा है।

यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व. राजूराम के नाम चक 3 पीबीएन व चक 4 पीबीएन में संयुक्त खाता में 18 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जो उनके देहान्तोपरांत उनके तीनों पुत्रों क्रमशः नत्थूराम, लालूराम व सहीराम को बहिस्सा बराबर औद हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्व. सहीराम के वारिसान हैं। स्व. सहीराम के देहान्तोपरांत उपरोक्त चक 3 पीबीएन व चक 4 पीबीएन की कृषि भूमि सहीराम के दो पुत्रों जस्सूराम व सदूराम को बहिस्सा बराबर औद हुई। वर्तमान में चक 4 पीबीएन तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 101/40 के पत्थर नम्बर 60/296 (40) किला नम्बर 12 ता 15, पत्थर नम्बर 61/294 (25) किला नम्बर 3 ता 8 तादादी 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि में जस्सूराम व सदूराम बहिस्सा बराबर 3 बीघा 5 बिस्वा 3 बीघा 5 बिस्वा व चक 3 पीबीएन के पत्थर नम्बर 61/ 294 (31) के किला नम्बर 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर 3-3 बीघा के खातेदार हैं।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि के अलावा प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता, प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 तथा अप्रार्थी संख्या 23 के दादा अप्रार्थीया संख्या 22 के ससुर व अप्रार्थीया संख्या-15 के पति व अप्रार्थीगण संख्या 16 ता 21 के पिता स्व. श्री जस्सूराम पुत्र श्री सहीराम को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत बतौर नोन क्लेमेंट चक 18 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 68/299 (8) किला नम्बर 17, 18, 23, 24, पत्थर नम्बर 68/300 (9) किला नम्बर 2 ता 4, 8, 9, 12, 13 तादादी 11 बीघा मय गैरमुमकिन कृषि भूमि तथा चक 19 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(3)

के पत्थर नम्बर 66/302 (19) किला नम्बर 11/100, 19 से 22, पत्थर नम्बर 66/303 (22) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, पत्थर नम्बर 65/302 (18) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 13 बीघा कुल तादादी 24 बीघा मय गैरमुमकिन कृषि भूमि आवंटित हुई थी।

यह कि आवंटन के समय स्व श्री जस्सु के पक्ष में आवंटन प्रमाण पत्र जारी हुआ जिसमें उस पर आश्रित व्यक्तियों में उसके भाई सदृ बहिन सुन्दरी व माता श्रीमती सुरसली का उल्लेख है। इस भूमि की समस्त आवंटन किश्तें स्व. श्री जस्सुराम ने जमा करवाई तथ राजस्व अभिलेख में यह भूमि अकेले जस्सूराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। कालान्तर में उक्त भूमि की सनद खातेदारी अकेले स्व. श्री जस्सूराम के पक्ष में क्रमांक 9575 जारी हुई तथा इस सनद के आधार पर स्व. श्री जस्सुराम के नाम यह भूमि खातेदारी दर्ज हुई। चित्रप्रति प्रतिलिपी पर्चा लगान चक 18 एसटीजी व 19 एसटीजी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि जस्सूराम पुत्र सहीराम के भाई सदूराम व बहिन सुन्दरी धर्मपत्नी चन्दूराम ना तो इस भूमि के आवंटी थे व ना ही यह भूमि सदूराम पुत्र सहीराम व सुन्दरी पुत्री सहीराम को आवंटित हुई। सदूराम व सुन्दरी की माता माता सुरसली ने सनद खातेदारी क्रमांक 9575 के आधार पर स्व श्री जस्सुराम के नाम खातेदारी का अमलदरामद होने के उपरांत राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर चक 18 एसटीजी के इन्तकाल संख्या 90 दिनांक 01.06.1989 व चक 19 एसटीजी के इन्तकाल संख्या 83 के आधार पर स्व. श्री जस्सुराम की एकल तौर पर आवंटित एवं खातेदारी भूमि में बहिस्सा बराबर का अंकन छिपे तौर पर करवा लिया। यह प्रविष्टि कतई गलत वं विधि विरूद्ध तथा प्रभावशून्य है। प्रार्थीगण की दादी सरसली फौत हो चुकी है तथा स्व. सरसली के देहान्तोपरांत उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में स्व. जस्सूराम व उसके भाई स्व. सदूराम व बहिन सुन्दरी के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई।

यह कि स्व. सदूराम द्वारा उक्त गलत प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेने के पश्चात् स्व. जस्सूराम व सदूराम के मध्य उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में विवाद उत्पन्न हो गया। चूंकि स्व जस्सूराम को आवंटित कृषि भूमि में स्व. सदूराम व सुन्दरी देवी तथा सरसली का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था, लेकिन फिर भी परिवार एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों क्रमशः मोतीराम पुत्र रावतराम, लखूराम पुत्र बस्तीराम, करमूराम पुत्र लच्छूराम, हरचन्द पुत्र जीवनराम एवं सेउराम पुत्र नत्थूराम द्वारा स्व जस्सूराम स्व. सदूराम के मध्य उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में राजीनामा दिनांक 01.05.1990 को निष्पादित करवा दिया जिसमें स्व. जस्सूराम को चक 19 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 66/302 (19) किला नम्बर 11/100 19 से 22, पत्थर नम्बर 66/303 (22) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, पत्थर नम्बर 65/302 (18) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 3.289 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा व स्व. सहीराम के नाम चक 3 पीबीएन व चक 4 पीबीएन में दर्ज 6 बीघा कुल 19 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई जो स्व. जस्सूराम के आधिपत्य व धारण में चली आ रही थी व जस्सूराम के देहान्तोपरांत उसके विधिक व जायज वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 23 के आधिपत्य एवं धारण में चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त राजीनामा हो जाने के पश्चात् स्व. जस्सूराम व सदूराम अपने अपने हिस्सा मुताबिक उपरोक्त कृषि भूमि काश्त करते रहे, लेकिन जमाबंदी में पूर्वोक्त वर्णित इन्तकाल संख्या 90 व 83 के आधार पर प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर स्व. जस्सूराम द्वारा अपनी बहन सुन्दरी देवी से राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही गलत प्रविष्टि के आधार पर उपहार पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लिया जो प्रारम्भ से ही अवैध व शुन्य है तथा प्रार्थीगण के हितों पर प्रभावहीन व निष्प्रभावी है। जमाबंदी में पूर्वोक्त इन्तकाल संख्या 90 व 83 के आधार पर सदूराम व सुन्दरी के नाम दर्ज

हिस्साकसी कतई गलत व विधि विरूद्ध दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उपहार पत्र के आधार पर स्व. सदूराम के नाम चक 18 एसटीजी व 19 एसटीजी में 2/3 हिस्सा गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रार्थीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि चक 19 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 66/302 (19) किला नम्बर 11/100 19 से 22, पत्थर नम्बर 66/303 (22) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, पत्थर नम्बर 65/302 (18) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 3.289 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा कृषि भूमि व चक 3 पीबीएन के पत्थर नम्बर 61/294 (31) के किला नम्बर 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 4 पीबीएन तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 101/40 के पत्थर नम्बर 60/296 (40) किला नम्बर 12 ता 15 पत्थर नम्बर 61/294 (25) किला नम्बर 3 ता 8 तादादी 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि में जस्सूराम व सदूराम बहिस्सा बराबर 3 बीघा 5 बिस्वा - 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 19 बीघा 5 बिस्वा भूमि के प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 21 बहिस्सा बराबर 9/10 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 व 4 व अप्रार्थी संख्या 22 व 23 बहिस्सा बराबर 1/10 हिस्सा के खातेदारी हैं व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख सदूराम व जस्सूराम का नाम कलमजन करवाकर अपने नाम अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि प्रार्थीगण को उपरोक्त प्रविष्टि का पूर्व में ज्ञान नहीं हो सका था। उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में स्व. सदूराम द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई जिसके इन्तकाल बाबत तहसीलदार राजस्व डबलीराठान के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें हल्का पटवारी से प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कृषि भूमि सदूराम के वारिसान द्वारा अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। जब प्रार्थीगण द्वारा समस्त दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की कार्यवाही करने पर ज्ञात हुआ कि स्व. सदूराम द्वारा राजस्व अभिलेख में चल रही गलत प्रविष्टि के आधार पर उक्त कृषि भूमि में 2/3 हिस्सा कषि भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली है। अप्रार्थीगण तथा स्व. सदूराम द्वारा प्रारम्भतः ही अवैध व शून्य गलत प्रविष्टि के आधार पर निष्पादित वसीयत के आधार पर अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल तथा खुर्द बुर्द करने को उतारू है। अप्रार्थीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना असम्भव है। इस कारण प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार हैं कि अप्रार्थीगण चक नम्बर 19 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 66/302 (19) किला नम्बर 11/100 19 से 22, पत्थर नम्बर 66/303 (22) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, पत्थर नम्बर 65/302 (18) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 3.289 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा व स्व. सहीराम के नाम चक 3 पीबीएन व चक 4 पीबीएन में दर्ज 6 बीघा 5 बिस्वा कुल 19 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखे एवं उपरोक्त कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करे।

यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण चक नम्बर 19 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 66/302 (19) किला नम्बर 11/100, 19 से 22, पत्थर नम्बर 66/303 (22) किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9,

पत्थर नम्बर 65/302 (18) किला नम्बर 15, 16, 25 तादादी 3.289 हैक्टेयर अर्थात 13 बीघा व स्व. सहीराम के नाम चक 3 पीबीएन व चक 4 पीबीएन में दर्ज 6 बीघा 5 बिस्वा कुल 19 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखे एवं उपरोक्त कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करे।

« प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी श्री गुरप्रीतपाल सिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये कि यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 1 असत्य होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 2 झुठी, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने के कारण से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना-पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज तथ्य झुठे व मनगढ़त होने के से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 गलत व झुठी अंकित होने के कारण से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 5 विधि विरूद्ध मिथ्या अंकित होने के कारण से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 6 झुठी होने के कारण से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 झुठे कथनों पर आधारित व मंगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना-पत्र की दफा 8 मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 झुठी व मनगढ़त होने के कारण से अस्वीकार है। दस्वावेजी साक्ष्यों व परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति का बिंदू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण 1 व 3 के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है । यह कि दफा 10 कानूनी है।

-अतिरिक्त कथन-

यह कि चक 18 व 19 एसटीजी की कुल 6.072 है 1/3 हिस्सा स्व. सदूराम को स्वयं को अलोटमेंट हुई है जिसकी सनद प्रदर्श 1 है। उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा ही सदूराम की बहिन स्व. सुन्दरी को अलोट हुई थी स्व. सुन्दरी ने अपना 1/3 हिस्सा का दान अपने भाई स्व. सदूराम के पक्ष दिनांक 31.05.2010 को कर कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी डबली राठान से दानपत्र पंजीबद्ध करवाया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न जबाव प्रार्थना-पत्र प्रदर्श है। इस प्रकार दोनो चकों की कुल 6.072 है0 आराजी में स्व. सदूराम का 2/3 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता/ससुर स्व. सदूराम की स्वय अर्जित भूमि चक 18 एसटीजी के खाता संख्या 117/39 प.न. 68/299 (12) व प.न. 68/300 कुल 2.7830 में से 2/3 हिस्सा व चक 19 एसटीजी के खाता संख्या 126/42 प.न. 65/302 मु.न. 18 प.न. 66/303 मु.न. 22 को कुल 3.2890 है0 में से 2/3 हिस्सा जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत स्व. सदूराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 भादराराम व 3 रामीदेवी के हिस्सा में ब.हि.ब में करवा रखी है व इसी कदर पूर्व से ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के पास उक्त दावधीन भूमि का कुठाराघात करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध अनपढ़ व्यक्ति होने व अप्रार्थीगण कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण ने लालच से वंशीभूत होकर अप्रार्थीगण के अधिकारों संख्या 3 अनपढ़ विधावा औरत जात होने के कारण उन्हें तंग परेशान करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

यह कि दावाधीन आराजी में स्व. सदूराम की स्वंय अर्जित भूमि है व सदूराम के नाम से ही दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसपर सदूराम व सदूराम के देहांत के बाद से लगातार अप्रार्थी संख्या 1 भादरराम व अप्रार्थी संख्या रामीदेवी काबिज है। जिसकी मौका कब्जा रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न प्रार्थना-पत्र प्रदर्श 3 है। यह कि अप्रार्थीगण दावा में स्वंय मानकर आ रहे है कि

उक्त भमि में से स्व. सुन्दरी ने अपने 1/3 हिस्सा का दान अपने भाई सदूराम के पक्ष में वर्ष 2010 में कर दिया था, जिसका इंतकाल भी वर्ष 2010 में दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गया है तो इसमें पूर्व ज्ञान नहीं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।

यह कि दावाधीन आराजी चक 18 व 19 एसटीजी की है जिमसें से अप्रार्थीगण ने केवल प्रार्थीगण को तंगपरेशान करने के बाबत यह दावा व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कूटरचित मिथ्या हल्फनामा वर्ष 1990 का प्रस्तुत पेश किया है उपरोक्त आजराजी का कभी भी कब्जा प्रार्थीगण के पास नहीं रहा है।

यह कि प्रार्थीगण ने बिना किसी प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष दावा/प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है उसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की कोई आशा नहीं क्योंकि उक्त प्रार्थना-पत्र/दावाधीन में दर्ज भूमि स्व. सदूराम पुत्र सहीराम की स्वंय अर्जित भूमि है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि स्व. सदूराम ने अपनी उक्त स्वंय अर्जित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में करवा रखी है जिसका इंतकाल माननीय उपतहसीलदार डबली राठान यहां जैरकार है जिसे प्रार्थीगण ने केवल अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के इंतकाल को दर्ज होने से वंचित रखने व सभी तथ्यों से भली-भांति अवगत होने के बावजूद ही झुठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर दावा/प्रार्थना-पत्र में अनावश्यक पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया स्थगन आदेश अगर खारिज नहीं किया जाता है तो अप्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा जिससे अप्रार्थीगण के पक्ष में पिता/ससुर द्वारा करवाई गई रजिस्टर्ड वसीयत का इंतकाल दर्ज नहीं करवा सकेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश पूर्णरूप से खारिज किये जाने योग्य है। अगर स्थगन आदेश खारिज नहीं किया जाता है तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा व अप्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे इसलिए उक्त प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 आरटीए खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना-पत्र मय अतिरिक्त कथन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते हैः-

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

(9)

पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी अनुसार चक 19 एस.टी.जी. के खाता सं. 126/42 रकबा 3.289 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा जसूराम व 2/3 हिस्सा सदूराम के नाम दर्ज है। चक 3 पी.बी.एन. के खाता सं. 139/53 रकबा 2.272 हैक्टयर में 4 पी.बी.एन. के खाता सं. 101/40 रकबा 2.253 में जसूराम व सदूराम के नाम कृषि भूमि दर्ज है। आवंटन पत्र के अनुसार जसूराम को चक जहाना में कृषि भूमि आंवटित हुई जो चक 18 एस.टी.जी. व 19 एस.टी.जी. में पैमूद हुई जिसकी 1989 में खातेदारी सनद जारी हुई है प्रार्थीगण के अनुसार जसुराम को आंवटित भूमि में जसूराम के भाई-बहिन सदूराम व सुन्दरी का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था व इन्तकाल 90 व 83 को प्रतिलिपि का नाजायज फायदा उठाकर सुन्दरी देवी ने सदूराम को भूमि दान कर दी स्पष्टतः भूमि को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य वाद-विवाद है। क्या वादग्रस्त भूमि अकेले जसूराम को आंवटित हुई? क्या वादग्रस्त भूमि मे सुन्दरी देवी व सदूराम का कोई हक व हिस्सा बनता है? क्या सुन्दरी देवी को प्रविष्टी के आधार पर दान पत्र का अधिकार था? आदि बिन्दुओं को निर्धारण न्यायालय हाजा में विचाराधीन दावे में अन्तर्गत 88,188 RTA में होना है। यदि न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधज्ञ को कन्फर्म नहीं किया जाता है तो वाद-बहूलता भी बढ़ सकती है। दुसरे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य 88, 188 का घोषणात्मक का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें हकों व हिस्सों का निर्धारण किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व. सदूराम अभिलिखित काश्तकार है। विवादाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज है जिसको लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है अतः यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय या अन्तरण करते है तो प्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी श्तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत घोषिणात्मक विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश दिनांक 18.02.2025 बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस

10

आशय का कन्फर्म किया जाता है। उभयपक्ष ता–फैसला वाद, रहन, बैय व अन्तरण करने से निषिद्ध (Prohibited) रहे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....01.10.2025.... को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ